(ख) क्या पुलिस ने रजिस्ट्रार के अनुरोध पर दो "लैब बयरों" को गिरफ्तार किया था ;

(ग) यदि हां, तो संस्था में विवाद उत्पन्न होने के क्या कारण थे ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। प्रदर्शन में, भारतीय टेक्नोलोजी संस्थान, दिल्ली के कुछ कर्मचारी शामिल थे।

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर कार्यवाही के सिलसिले में पुलिस ने 25 मई, 1966 को, शांति-भंग की आशंका से संस्थान के चार कर्मचारियों और एक भूतपूर्व कर्मचारी को संस्थान के अन्य कर्मचारियों को उनके कर्त्तव्य पालन में बाधा डालने के लिए हिरासत में ले लिया था।

(ग) उपर्युक्त गिरफ्तारियों के परिणाम-स्वरूप कुछ असंतुष्ट कर्मचारी आन्दोलन और परेशानी पैदा कर रहे हैं।

(घ) संस्थान के प्राधिकारियों ने पृथक-पृथक कर्मचारियों की समस्याओं पर कार्यवाही की है।

केन्द्रीय सचिवालय में लिपिकीय कर्मचारियों की संख्या

2465. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सोनावने :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के स्थायी तथा अस्थायी (क्लैरिकल) कर्मचारियों के बारे में सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की पृथक्-पृथक संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में स्थायी तथा अस्थायी प्रवर श्रेणी लिपिकों तथा अवर लिपिकों की संख्या के बारे में 1-5-1966 को जो स्थिति थी उसकी सूचना सभी मंत्रालयों/कार्यालयों (एक विभाग के अतिरिक्त) से एकत्रित कर ली गई है और नीचे दी जा रही है :—

श्रेणी	अधिकारियों की संख्या	
	स्थायी	अस्थायी
प्रवर श्रेणी लिपिक	2134	1975
अवर श्रेणी लिपिक	6944	3708

छम्ब-जौरियां क्षेत्र (जम्मू तथा काश्मीर) के शरणार्थी लोग

2466. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री सोनावने :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री 20 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3996 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छम्ब-जौरिया क्षेत्र के शरणार्थियों ने क्या-क्या मांगें प्रस्तुत की हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी सब मांगें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (ग). समय समय पर विस्थापित व्यक्तियों द्वारा